ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 8, Issue 5, May 2018 Impact Factor 5.132 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 में प्राथमिक शिक्षा का प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक के माध्यम से समीक्षात्मर अध्यन

Saurabh Saxena[1], Dr. I M Singh[2]

Department of Education

[1,2]Shri Venkateshwara University, Gajraula (Uttar Pradesh) – India

सार

शिक्षा का अधिकार 2009 : क्रियान्वयन और प्रभाव के शैक्षिक निहितार्थ इस शोध के माध्यम से शोधार्थी यह दखदने की कोशिष करता है की शिक्षा का अधिकार 2009 का क्रियान्वयन और प्रभाव सरकारी विद्यालयों में कितना हुआ है? शिक्षा का अधिकार 2009 जब स पास हुआ है, तब से शिक्षा का स्तर काफी हद तक सुधर तो रहा है। लकिन इसकी प्रगति काफी धीमी है। यह अधिकार सभी बच्चों के लिए (6 से 14 वर्ष) मुफ्त शिक्षा दी जायेगी। तथा पांच वर्ष क अन्दर इस अधिकार को पूरी तरह से विद्यालयों में लागू करन की बात कही गयी है। इस अधिकार के अंतर्गत सभी सरकारी वद्यालयां में बुनियादी सुविधाओं की पूर्ती की जायेगी जिसमं वियालय भवनों का निर्माण, स्वच्छ जल की सुविधा, साफ सफाई का माहौल, शिक्षकों की पूर्ती आदि शामिल हैं। अतः यहाँ यह दखनो अनिवार्य बन जाता है की विद्यालयों में इस अधिकार कितना पालन किया जा रहा है? जिसस हमें ये पता चल सक की अधिकार को लागू करन के लिए अभी और कितना समय लगेगा तथा इसके पथ में आने वाली समस्याओं का पता चल पायेगा ताकि इसक न्तिती निर्माताआं कू इसक प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिल सक। अतः इस शोध का मूल उद्देश्य शिक्षा के अधिकार 2009 का क्रियान्वयन और प्रभाव सरकारी विधालयां में दखनो है और इसक सहिक्रियान्वयन की दिशा को खोजना है ताकि इस अधिकार का सफल क्रियान्वयन विद्यालयां में करक इसका लाभ सभी बच्चों को मिल सके

परिचय

शिक्षा का अधिकार 2009 सम्पूर्ण भारतीय शिक्षा पद्धति विशेषत : 6–14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता हैं यह अधिकार उन सभी बच्चों के लिए एक मील का पत्थर है जो अभी तक शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। भारत मं प्राथमिक शिक्षा क क्षेत्र में बहुत सी समस्याएँ दृष्टिगोचर होती हैं जैस बच्चों के स्कूल छोड़ने की ऊँची दर, प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश की निम्न नामांकन दर, लड़कियां की प्राथमिक शिक्षा में कम भागीदारी, समाज क वंचित वर्गों की स्कूल में शामिल ना होने एवं स्कूल छोड़ने की ऊँची दरं तथा उच्च शिक्षक, विद्यार्थी अनुपात है। इससे यह अनुमान लगाना बहुत सरल है कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार चल रही है। इसी संदर्भ मं सभी समस्याओं को मद्दनजर रखकर भारत में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानून महत्वपूर्ण हो सकता है। यह अधिकार 6–14 साल तक के सभी बच्चां को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मं शामिल होने का अधिकार देता है।

6 से 14 वर्ष की आयु क सभी बच्च विशेशकर कमजोर वर्ग क बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून 2009 का लागु हुए काफी समय हा गया है, अब तक दश के कमजार वर्ग के करोड़ों बच्चों को गरीबी की वजह स शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी लकिन इस कानून क लागू हो जाने के बाद एसी आशा की जा सकती है की अब प्रत्येक बच्च को सुगमता से शिक्षा प्राप्त हो जायेगी।

गोपालकृष्ण गोखल ने सबस पहल 19 मार्च 1910 को कन्द्रीय धारा सभा में अनिवार्य एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा क संबध में एक प्रस्ताव पेश किया था। सोलह मार्च 1911 मं गोखल ने इस प्रस्ताव को कन्द्रीय धारा सभा में विधेयक क रूप में पेश किया। प. मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्नाह भी उस समय इस कन्द्रीये धारा साभा क सदस्य थे। उन्होंने गोखल द्वारा प्रस्तुत इस

विधेयक का समर्थन किया, परन्तु भारतीय रियासतां के प्रतिनिधियां ने सरकार के पक्ष में मत दिया। और यह विधेयक 13 मतां के विरुद्ध 38 मतों से गिर गया। अतः गोखल द्वारा प्रस्तावित यह विधेयक कन्द्रीये धरा सभा में पास नहीं हो सका, परन्तु उनके द्वारा प्रस्तावित इस विधेयक से ब्रिटिश सरकार में खलबली अवश्य मच गयी थी। राष्ट्रपति महात्मा गाँधी भी दशे में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के समर्थक थे नव जीवन पात्र में लिखे गए एक लख में गांधी जी ने कहा था की मै भातर क लिए निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत का द्रढ़समर्थक हूँ। उनके अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति हतु बच्चों को दी जाने वाल वाली शिक्षा एसी होनी चाहिए जिसस बच्चों का शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक विकास हो सक। 1937 में महात्मा गाधी ने डोकटर जाकिर हुसैन के साथ मिलकर नईं तालीम की अवधारणा प्रस्तुत की। आज इसे वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा और बेसिक एजुकशने आदि कई नामों से जाना जाता है। इसके अंतर्गत 7–14 आयु वर्ग क सभी बच्चां के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवथा की गयी थी। और इस बात पर बल दिया गया था की सम्पूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प अथवा उद्धयोग पर आधारित हो।

1966 में कोठारी आयोग ने बच्चों के लिए सामान शिक्षा की शिफारिश की थी। 1986 की शिक्षा निति के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनान क लिए एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की दूरीक अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलनें की बात की गयी थी, साथ ही प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारन हेतु ओपरशने बलक बोर्ड योजना परस्तुत की गयी थी। भारत में बाल शिक्षा क` क्षत्र में नई अवधारणाओं का जन्म 1992–93 मं तब हुआ। जब भारत न संयुक्त रास्ट्र बाल अधिकार चार्टर पर हस्ताक्षर किय। इस चार्टर का हस्ताक्षारकर्ता दश होने के कारण भारत का बाल शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप मं मान्यता प्रदान करना आवश्यक हो गया। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्नीकृष्णन बनाम आंद्रप्रदश के मामल में कहा गया की शिक्षा का अधिकार संविधान के अद्धयाय 3 क अनुच्छद 21 में उल्लिखित जीवन क मौलीक अधिकार का एक भाग है। 1993 के फैसल के बाद 2002 में 86 वं संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। प्रत्येक 6 स 14 वर्ष तक के हर बच्च को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करन का पूरा पूरा अधिकार होगा। बच्चों को शिक्षा दनो माता पिता का मौलिक कर्त्तव्य बना दिया गया है। अतः अब अभिभावकां की जिम्मेदारी हागी की वे बच्चों को विद्यालय अवश्य भेज। हर बच्च के लिए घर स विद्यालय तक की नियत दूरी 1 की.मी.दूरी के दायरे में ही विद्यालयों की व्यवस्था करानी होगी। सभी निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश के समय कमजार वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटं आरक्षित करनी होंगी, तथा इस मजबूती स लागू किया जाए। निजी विद्यालयों में बच्चों से किसी प्रकार की कैपिटशन फीस नहीं ली जायेगी, व् बच्चों के स्क्रीनिंग टेस्ट पर भी प्रतिबन्ध होगा।

बच्चों को ना तो अगली कक्षा में पहुँचने से राका जाएगा न ही विद्यालय से निकाला जाएगा और ना ही उनके लिए बार्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षित शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाने का कार्य करंगे अप्रशिक्षित शिक्षकां को परिक्षण दिया जाएगा। कोई भी विद्यालय तथा उन्हें मार्गदर्शन भी दगा। प्रत्येक 40 बच्चों को पढान के लिए कम से कम दो प्रशिक्षित शिक्षक होंगे। विकलांग, मंदबुद्धि छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षक शिक्षण कार्यों के अलावा अन्य कार्यो में लगा दिए जात हैं। शिक्षकों ड्यूटी जनगणना, चुनाव कार्य एवं आपदा रहत के अलावा अन्य किसी भी कार्य मं नहीं लगायी जायेगी। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 का लागू करन में जो भी खर्च आएगा उसे कद्रें 65 प्रतिशत व राज्य 35 प्रतिशत मिलकर वहां करंगे। इनक शिक्षा के अधिकार के भाग–Iखण्ड–Iऔर 2 में स्पष्ट किया है। (दखें अनुलग्न–1) यह कानून इसके अनुसार 2 के उपखण्ड । क भाग 1, 2 व उपखंड B,C, Dमें स्पष्ट करता है कि इस कानून का लागू करने की जिम्मेदारी कन्द्र और राज्यसरकारं या विधान पालिकाएँ जैसा भी मामला हो क द्वारा लागू किया जायगा साथ ही

मूल भाग 2 के उपखंड CऔरDक अनुसार बालक शब्द की (बेपसक) की परिभाषा 6 स 14 साल तक की उम्र के बच्चों के रूप में करता है और उपखण्ड क वंचित वर्गों की परिभाषा करत हुए इसमें अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप स पिछड़े हुए वर्ग तथा एसे स्कूल को अपन` सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषिक, जन्डरे तथा एसे ही भिन्न घटक जिन्हं संबंधित सरकारों

ने नोटिफाइड किया है को वंचित समूह माना है।

सम्बंधित अध्यन

रजनी चौधरी **(2013)** ने अपने शोध ''ऐग्जामिनेशन ऑफ राईट टू ऐजुकेशन ऐसे ह्यूमन राईट'' में शिक्षा का अधिकार 2009 में मानवाधिकारों के संबंध में इसका आकलन किया है। इसके माध्यम से इस उद्देश्य को देखने की कोशिश की है कि यह छात्रों के शैक्षिक अधिकारों को कहाँ तक पोषित करता है। तथा साथ ही यह भी देखा गया है कि इससे बच्चों के अधिकारों को कहाँ तक रखा गया है। क्योंकि आज भी बच्चों को कई प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से महरूम रखा गया है तथा विदयालयों में शिक्षकों की कमी के साथ–साथ अन्य कई शैक्षिक सुविधाओं की कमी भी देखी गई है जिससे बच्चों के शैक्षिक अधिकारों का ह्रास देखा गया है। अतः इन अधिकारों की अगुआई शोधकर्त्री के द्वारा देखने की कोशिश की गई है कि शिक्षा का अधिकार आखिरकार कहाँ तक मानवाधिकारों के पक्ष में खरा उतरा है। यही देखना इस शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य भी आंका गया है।

रीनू वर्मा **(2012)** ने अपने शोधकार्य ''प्रैसेप्शन ऑफ प्रिंसिपल्स राईट टू ऐजुकेशन ऐक्ट'' के अंदर इसके पीछे की धारणा व दृष्टिकोण को देखने की कोशिश की है। इस ऐक्ट को बनाने के पीछे कौन–सी धारणाएँ या दृष्टिकोण काम कर रहे हैं को देखा गया है। शोध में शोधकर्त्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सिद्धान्तों छात्रों की शैक्षिक प्रगति के प्रति दृष्टिकोण को देखने की कोशिश की है, कि छात्रों को दिए जाने वाले लाभों के प्रति इस अधिकार के क्या दृष्टिकोण हैं तथा इसको बनाने के पीछे जो धारणाएँ काम कर रहीं थी को भी देखने की कोशिश की गई है।

सोनिया **(2009)** अपने शोध में ''शिक्षा का अधिकार अधिकार अधिनियम 2009: मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा'' में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में दिए गए अधिकारों की समीक्षा करती है कि कहाँ तक यह अधिकार मानवाधिकारों के पक्ष में खड़ा है। इसका उदेश्य भी यही है कि शिक्षा के अधिकार 2009 में मानवाधिकारों को देखकर इसकी समीक्षा करना। अपने शोध में शोधकर्त्री ने इस अधिकार की समीक्षा करते हुए जानने की कोशिश की है कि यह अधिकार कहाँ तक बच्चों के मानवाधिकारों (शैक्षिक अधिकारों)की रक्षा करता है तथा इसके लागू करने में कौन–सी समस्याएँ प्रमुखतः सामने खड़ी हैं। इसकी प्रासंगिकता भी यही दर्शाती है कि यह अधिकार वास्तव में कहाँ तक बच्चों के डॉप–आउट तथा विदयालय में नामांकन को देखता है। अतः इस शोध के द्वारा शोधकर्त्री ने बच्चों के शैक्षिक अधिकारों के समकक्ष इस अधिकार की समीक्षा करनी चाही है।;

सोनिया **(2011)** ने अपने शोध में शिक्षा के विभिन्न संदर्भों का वर्णन करते हुए माना है कि शिक्षा के मौलिक अधिकार में मूल मसला गरीब बच्चों की शिक्षा का है। अमीर एवम सम्पन्न परिवारों के बच्चे तो पहले से ही शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। इन स्थितियों में 93 वें संविधान संशोधन विधेयक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा के अधिकार में आ जाने के उपरान्त दलित, आदिवासी वंचित तबकों और मजदूर वर्ग के बच्चों को सार्थक और स्तरीय शिक्षा मुहैया कराई जा सके।

अजय सिंह **(2005)** ने अपने शोध 86वें संविधान संशोधन का राजनीतिक विश्लेषण शिक्षा के मौलिक अधिकार के संदर्भ में बच्चों से जुड़े शिक्षा के अधिकार के विश्लेषण की शुरूआत इस लक्ष्य के साथ की है, कि भारतीय सन्दर्भों में बच्चों की शिक्षा की दुनिया में दिलाव, आएगा जो नई स्थितियाँ बनी हैं, उन्होंने बच्चों के संदर्भ में शिक्षा के अधिकार से जुड़े संविधान के अनुच्छेदों को नवीन अर्थ प्रदान किये हैं। जिनका सार्थक प्रभाव बच्चों की शिक्षा और अधिकार पर पड़ रहा है। शोधकर्ता ने अपने शोध बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार जो कि संविधान के 86वें संविधान संशोधन के सन्दर्भ में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का विधिशास्त्रीय विश्लेषण है, में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21¼ए½ द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है, जिसे अब संवैधानिक रूप से घोषित ''शिक्षा का मौलिक अधिकार'' माना जाता है।

शोध प्रारूप

शिक्षा का अधिकार 2009 पर इस अध्ययन का अभिकल्प विशेष रूप से एक वर्णनात्क अध्ययन है। वर्णनात्मक अनुसंधान उन परिस्थितियों का वर्णन व विश्लषण करता है जो वास्तव में वर्तमान में है, अभ्यास में जो जारी हैं, विश्वास विचारधारा या अभिवृत्तियाँ जो पाई जा रही है, प्रतिभाएँ जो चल रही हैं, अनुभव जो प्राप्त किय जा रहे हैं

अथवा नई दिशाएँ जो विकसित हा रही हैं, उन्हीं से इसका सम्बन्ध है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बिरेली के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार 2009 : क्रियान्वयन और प्रभाव के शैक्षिक निहितार्थ विषय नामक इस शोध का मुख्य लक्ष्य बिरेली क राजकीय विद्यालयां में शिक्षा का अधिकार 2009 के प्रावधानों की प्रभावात्मकता का जानना है। इसक सम्बन्ध मं प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों के मतों का अन्वेषण करना तथा इनक बारे में विद्यार्थियों, अभिभावकों के मतां को जानना है। इस शोध अध्ययन से हम राज्यों में राजकीय विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सेवाओं की स्थिति एवं आवश्यकता के साथ–साथ महत्व को भी जान पायेंगे।प्रस्तुत अध्ययन का अभिकल्प विशेष रूप से एक वर्णनात्क अध्ययन है। इसके संबंध में शिक्षकों के मतों का अन्वेषण करना तथा इनके बारे में विद्यार्थियों के मतों को जानना है। इस शोध अध्ययन से हम राज्यों में राजकीय विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सेवाओं की स्थिति एवं आवश्यकता के साथ–साथ महत्व को भी जान पायेंगे।

व्याख्या और विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन के आंकड़े गुणात्मक हैं, जिसमें आकड़ों का विश्लेषण· प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दत्त विश्लेषण विधि को अपनाया गया है, जिसमें प्रत्येक उद्देश्य से संबंधित निष्कर्षों को आवति तथा प्रतिशत विधि द्वारा प्रदर्शित कर विश्लेषण व व्याख्या की गई है।

प्रधानाध्यापक संबंधित प्रश्नावली

- विद्यालय में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?

तालिका संख्या 1सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों, विद्यार्थियों की संख्या तथा प्रधानाध्यापकों के मत

शिक्षकों की संख्या	40–50
विद्यार्थियों की संख्या	1800–2400
दोनों की संख्याओं का अनुपात	60 : 1 (लगभग)

- आठवीं कक्षा तक प्रत्येक कक्षामें विद्यार्थियों की संख्या 35 से अधिक है या कम है?

ऊपर दिए गए प्रश्न का उद्देश्य यह देखना है कि बरेली जनपद के विद्यालयों में आर.टी.ई. 2009 के अनुसार कक्षाओं में कितने–कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? दिए गए प्रश्न का हल जानने के लिए बरेली जनपद के 24 विद्यालयों को लिया गया। प्रत्येक जोन से एक लड़कों का विद्यालय तथा दूसरा लड़कियों का विद्यालय चुना गया। जहाँ से एक–एक प्रधानाध्यापक दोनों विद्यालयों से चुना गया और उनसे प्रश्नावली को भरवाया गया। प्रश्नावली में 30 प्रश्नों का निर्माण किया गया जिसमें प्रश्न 2 के उत्तर के लिए 24 प्रधानाध्यापकों के विचार जाने। प्रस्तुत प्रश्न विद्यालय में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की संख्या जानने के लिए पूछा गया था। जिससे विद्यालयों की प्रत्येक कक्षा में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के बीच के अनुपात को जाना जा सके। प्रश्न के उत्तर को जानने के लिये बरेली जनपद के सरकारी स्कूलों से 24 प्रधानाध्यापक लिये गए। बरेली जनपद के 24 प्रधानाध्यापकों से जानने के उपरांत पाया गया की 9 प्रधानाध्यापकों ने माना कि उनके विद्यालय में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात करने पर पता चला की अनुपात 50:1 है। अध्यापकों की संख्या 31 और विद्यार्थियों की संख्या 1800 से ऊपर है। 11 प्रधानाध्यापकों से पूछने पर पता चला कि उनके विद्यालय में शिक्षकों की संख्या 40 तथा विद्यार्थियों की संख्या 2400 तक है। यदि यहाँ इनके बीच अनुपात किया तो पता चला की दोनों की संख्या का अनुपात 60 : 1 है। दूसरी ओर यहाँ सिर्फ 24 में से 3 प्रधानाध्यापकों ने माना की उनके यहाँ अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की संख्या 80 से भी ऊपर पहुँच जाती है। यहाँ यदि इन आंकड़ों का मूल्यांकन करें तो पाया गया है कि 24 में से 21 प्रधानाध्यापकों ने माना की उनके यहाँ प्रत्येक कक्षा में 55 से 60 बच्चों को एक ही शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है तथा 3 ने माना कि उनके यहाँ 80 : 1 कक्षा मेंपाया जाता है। 21 प्रधानाध्यापकों के आंकड़ों को लिया जाए तो यहाँ आर.टी.आई. में लिखित अनुपात से कहीं अधिक अनुपात हमारे यहाँ विद्यालयों में पाया गया है। यदि इस अनुपात को ध्यान में रखा जाए तो यह भी एक कारण शैक्षिक गुणवत्ता में गिरावट का है।

24 प्रधानाध्यापकों में से 21 प्रधानाध्यापकों ने कहा कि उनके यहाँ आठवीं कक्षा तक विद्यार्थियों की संख्या 35 से अधिक है। तथा दूसरी ओर 3 प्रधानाध्यापकों ने माना कि उनके यहाँ आठवीं कक्षा तक विद्यार्थियों की संख्या एक कक्षा में 80 तथा इससे भी ऊपर तक भी पाई जाती है। अतः प्रश्न के निष्कर्ष हेतु यही कहा जा सकता है कि आर.टी.ई. में दी गई विद्यार्थियों की संख्या से कहीं अधिक विद्यार्थियों की संख्या हमारे विद्यालयों में पाई जा रही है। अतः आर.टी.ई. को लागू करने के लिये विद्यालयों का निर्माण तथा विद्यालयों में कमरों की संख्या को बढ़ाना होगा ताकि कक्षाओं में अतिरिक्त बोझ को कम करके विद्यालयों में आर.टी.ई. को अच्छे से गुणात्मक रूप में लागू किया जा सके।?

तालिका संख्या 2विद्यार्थियों के घर से उनके विद्यालयों की दूरी : 240 विद्यार्थियों के मत

88 बालकों के मत	3 कि.मी. से कम
32 बालकों के मत	3 कि.मी. से ऊपर
90 बालिकाओं के मत	3 कि.मी. से कम
30 बालिकाओं के मत	3 कि.मी. से ऊपर
62 : 178 का अनुपातिक प्रतिशत	25.83 रू 74.17:
240 में से 62 विद्यार्थी विद्यालय 3 किमी. की दूरी से आते हैं।	
240 में से 178 विद्यार्थी विद्यालय 3 किमी. की कम दूरी से आते हैं।	

- विद्यालय में अक्षम (disabled students) विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?

उपरोक्त प्रश्न को करने का उद्देश्य अक्षम विद्यार्थियों की संख्या और उनकी विद्यालय में प्रस्तुती को जानना है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि विद्यालयों में अक्षम विद्यार्थियों की संख्या में कितना इजाफा हो रहा है तथा उनकी रुचि विद्यालय की ओर कितनी है। प्रधानाध्यापकों से इस सम्बन्ध में संबंधित प्रश्न का उत्तर जानने पर पता चला कि उनके यहाँ अक्षम विद्यार्थी हैं। 24 में से सभी मानते हैं कि उनके विद्यालय में अक्षम विद्यार्थी पढ़ते हैं। 24 में से 14 ने प्रश्न के उत्तर में प्रत्येक विद्यालय ने माना कि अक्षम विद्यार्थियों की संख्या 03 तक है। तथा साथ ही 10 ने माना की उनके यहाँ इनकी संख्या तक 12 है। यदि यहाँ देखा जाए तो इनका प्रतिशत काफी कम है। अतः सक्षम विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने तथा समावेशी शिक्षा लिये आर.टी.ई. में लोगों को अक्षम विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए तभी हम अक्षम विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा कर पायेंगे और इस कानून को भी मजबूत कर सकेंगे।

तालिका संख्या 3रकारी विद्यालय में अक्षम(Disabled students)विद्यार्थियों की संख्या, प्रधानाध्यापकों के मत

24 में से 14 प्रधानाध्यापकोंके मत	03(विद्यार्थी)
24 मे से 10 प्रधानाध्यापकोंके मत	12(विद्यार्थी)
दोनो (10 : 14 काअनुपातिक प्रतिशत	41.67 : 58 :33प्रतिशत

अध्यापक संबंधित प्रश्नावली

- विद्यालय में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?

प्रस्तुत प्रश्न विद्यालय में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की संख्या को जानने के लिये किया गया था। इस प्रकार से हमें विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के प्रति कक्षा में अनुपात का पता चल जायेगा। यहाँ प्रश्न के उत्तर को जानने के लिये बरेली जनपद क्षेत्र के 12 जोनों से 24 शिक्षकों को लिया गया जिसमें प्रत्येक जोन से 2 विद्यालय चुने गए। एक विद्यालय बालकों का तथा दूसरा बालिकाओं का था। 24 शिक्षकों से पूछने पर उनमें से 20 शिक्षकों ने माना की उनके यहाँ शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 40 के ऊपर तथा कुल 2400 तक हैं यदि दोनों आंकड़ों का अनुपातिक प्रतिशत निकाला जाए तो पाया जायेगा–40 : 2400 अर्थात् 60 : 1 इसके साथ ही अन्य शिक्षकों की माने तो 24 शिक्षकों में

04 शिक्षकों ने माना की उनके यहाँ अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की संख्या 80 से भी ऊपर कई कक्षाओं में पाई गयी है। ऊपर पाये गये आंकड़ों को देखें तो यहाँ 20 विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में 01 शिक्षक 60 बच्चों को पढ़ा रहा हैं तथा तीन ही विद्यालय ऐसे पाए गए हैं जहाँ 80 से भी ऊपर की संख्या का स्तर कक्षा में पाया गया। इन अनुपातों को देखने पर पता चलता है कि आज भी आर.टी.ई. के इस कानून को पूरी तरह से विद्यालयों में लागू करने हेतु शिक्षकों की संख्या तथा कक्षाओं की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि यहाँ पाया गया कि शिक्षकों पर कक्षा में 60–80 बच्चों की संख्या को पढ़ाना एक अतिरिक्त बोझ हम उन पर लाद रहे हैं तथा जिससे बच्चों की समझ में भी विषय कम आयेगा। इससे सिर्फ एक ही नतीजा सामने आयेगा शिक्षण की गुणवत्ता का खोना।

तालिका संख्या 4सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों विद्यार्थियों की संख्या : 24 शिक्षकों के मत

24 में से शिक्षकों की संख्या	40–50
24 में से विद्यार्थियों की संख्या	1800–2400
दोनों की संख्याओं का अनुपात	60 : 1

- आठवीं कक्षा तक प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 35 से ज्यादा है या कम है?

इस प्रश्न का उत्तर जानने का उद्देश्य या सरकारी विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों की संख्या 35 से कम है या उससे ज्यादा। इसके लिए बरेली जनपद क्षेत्र के 12 जोनों को चुना गया जिसमें प्रत्येक जो से दो विद्यालयों बालकों एवं बालिकाओं को चुना गया। इसके लिए 24 शिक्षकों को चुना गया है जिसमें प्रत्येक जोन से दो शिक्षकों को चुना गया। अध्यापकों के विचारो कों जानने के उपरांत 24 में से 20 अध्यापकों ने माना की उनके यहाँ 8वीं कक्षा तक प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों कीसंख्या 35 से ऊपर है तथा इन कक्षाओं में इनकी 60 से भी ऊपर पाई गई। तथा 24 में से 04 अध्यापकों ने माना की विद्यार्थियों की संख्या 80 से भी ऊपर पायी गइ है। शिक्षा के अधिकार कानून में 35:1 का स्तर एक कक्षा में बताया गया है। यदि यहाँ हम देखें तो 87.5 शिक्षकों ने माना की उनके यहाँ कक्षा 8 तक के सभी कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 60 से भी ऊपर पाई गई है। इन आंकड़ों के आधारपर यहाँ यह देखा गया है कि कक्षाओंमें अभी भी काफी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन हम 35:1 का अनुपात पाने में काफी पीछे हैं। इस ऐक्ट को लागू करने के लिये कक्षाओं में पायेजाने वाले इस अतिरिक्त बोझ को कम करना होगा ताकि सभी को एक समान कक्षा शिक्षण करवा विद्यार्थियों का ज्ञान–वर्धन किया जा सके।

तालिका संख्या5सरकारी विद्यालयों में ऐक्ट के पीछे समस्याएँ : 24 प्रधानाध्यापकों के मत

24 में से 21 शिक्षकों के मत	35 सेअधिक
24 में से 03 शिक्षकों के मत	80 से ऊपर (100 लगभग)
प्रत्येककक्षापरभार	60 : 1

- विद्यालयों में कितने विशिष्ट अध्यापक हैं?

इस प्रश्न को पूछने के लिए उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षकों की संख्या को जानना। इसके लिए बरेली जनपद क्षेत्र के 12 जोनों के 24 विद्यालयों को लिया गया। जिसमें प्रत्येक जोन से 2 विद्यालय और शिक्षकों को बालक तथा बालिकाओं के विद्यालयों से लिया गया। 24 शिक्षकों से प्रश्न का उत्तर जानने पर पता चला की 16 शिक्षकों ने माना कि उनके यहाँ कोई विशिष्ट शिक्षक नहीं है तथा 8 शिक्षकों ने माना की उनके यहाँ 01 से 02 विशिष्ट शिक्षक हैं। यदि यहाँ आंकड़ों की सहायता से देखा जाए तो पता चलेगा की 16 शिक्षकों ने माना की उनके विद्यालयों में कोई विशिष्ट शिक्षक नहीं है तथा 8 शिक्षकों ने माना की उनके यहाँ विशिष्ट शिक्षक है जिनकी संख्या विद्यालयों में 01 और 02 तक है। यहाँ ऐक्ट की मजबूती के लिये सरकार तथा विद्यालय प्रबंधन कमेटी को ध्यान देना होगा कि वे विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षकों की भर्ती करवायें जिससे की असक्षम विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास में बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों के न होने से उनकी (अक्षमों की) समस्याओं को समझना किसी अन्य शिक्षक के लिये आसान कार्य नहीं होता और उनकी समस्याओं का निवारण ना होने के कारण वे विद्यालय को छोड़ भी सकते हैं तथा उनके नामांकन में पहले ही कमी देखी गई है तथा इस कमी

को पूरा ना किया गया तो अक्षम विद्यार्थियों के साथ उनकी शिक्षा को आगे गुणकारी स्तर पर नहीं ले जाया जा सकता।

तालिका संख्या 6सरकारी विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षकों की संख्या : 24 शिक्षकों के मत

24 में से 16 शिक्षकों के मत	कोई विशिष्ट शिक्षक नहीं
24 में से 08 शिक्षकों के मत	01–02 विशिष्ट शिक्षक
16:08काअनुपातकरने पर	66.67 : 33.33 प्रतिशत

- क्या विद्यालय में सभी विषयों के अध्यापक उपलब्ध हैं?

प्रस्तुत प्रश्न को पूछने का उद्देश्य बरेली जनपद के सरकारी विद्यालयों में सभी विषयों के शिक्षकों की उपस्थिति। इसके लिये बरेली जनपद के 12 जोनों से 24 सरकारी विद्यालयों को चुना गया। प्रत्येक जोन से 2 विद्यालयों को चुना गया जिसमें एक बालकों तथा दूसरा बालिकाओं का विद्यालय चुना गया। यहाँ 24 शिक्षकों के विचारों को जाना गया, जिसमें 10 शिक्षकों ने माना की उनके यहाँ कुछ विषयों की उपलब्धता नहीं है। इन विषयों में मुख्यत : अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित व संस्कृत के शिक्षकों की कमी पाई गयी थी। लेकिन दूसरी ओर 14 शिक्षकों के विचार थे की उनके यहाँ विद्यालय में किसी भी विषय के शिक्षकों की कमी नहीं पाई जाती। इस सम्बन्ध में देखने पर पता चलता है कि विद्यालयों में जहाँ इस ऐक्ट के लागू होने से पहले शिक्षकों की कमी पायी जाती थी। आज ऐक्ट के लागू होने के उपरांत उस स्तर में काफी सुधार आया है तथा इस सुधार को और अच्छा करने की ओर सरकार के कदम सराहनीय है। इस प्रश्न के उत्तर में शिक्षकों से जानने के उपरांत पता चला की 24 में से 14 विद्यालयों में शिक्षकों की कमी नहीं पाई गयी जो कि शिक्षा के अधिकार कानून की देन है तथा इस ऐक्ट को विद्यालयों में गुणकारी तौर लागू करने लिये सर्वप्रथम बुनियादी स्तर की सुविधाओं के साथ–साथ शिक्षकों की संख्या में भी वुद्धि करनी होगी, ताकि ऐक्ट में दिए गए प्रावधानों को अच्छे से लागू किया जा सके। क्योंकि जब अध्यापकों की पूर्ति विद्यालयों में होगी तभी विद्यार्थियों का विद्यालयों से पलायन कर पाना रुक सकेगा और साथ ही शैक्षिक स्तर में भी सुधार आयेगा।

तालिका संख्या 7सरकारी विद्यालयों में विषय अध्यापकों की संख्या : 24 अध्यापकों का मत

24 में से 10 शिक्षकों के मत	अध्यापकों की कमी
24 में से 14 शिक्षकों के मत	अध्यापकों की कमी
10:14 अनुपातिक प्रतिशत	41.67:58.33 प्रतिशत

उपसंहार

शोधार्थी द्वारा बच्चों और अध्यापकों से शिक्षा के अधिकार के सम्बन्ध में जानकारी जताई गई जिसका मूल उद्देश्य शिक्षा के अधिकार लागू होने के 2 वर्ष बाद की वस्तुस्थिति को जानना था इस सम्बन्ध में शोधार्थी ने प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा अभिभावकों से एक अलग–अलग प्रश्नावली द्वारा विद्यालयों से सम्बन्ध में ढांचागत सुविधाओं, विद्यालय के अन्य पक्ष जिनका उल्लेख कानून में तथा अध्यापकों से उनकी व्यावहारिक दृष्टि को जानने के उद्देश्य के लिए जानकारी जताई गई। इस सम्बन्ध में शोधार्थी ने आंकलन कर पाया कि स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, कानून के अनुसार जिसमें शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, शौचालय, विषय वार अध्यापक, स्कूल में बच्चों की पिटाई, पाठ्यक्रम तथा सतत एवम् व्यापक मूल्यांकन की स्थिति तथा विद्यालय में भेदभाव की स्थिति अप्रकट रूप से विद्यालयों में है। औसत से ज्यादा बच्चों की घर से दूरी तीन से ज्यादा किलोमीटर तक है। बच्चों को मुफ्त पुस्तकें तथा स्टेशनरी का समान बहुत देर से मिल पाता हैं शिक्षकों द्वारा जुटाई जानकारी से मालूम हुआ है कि अधिकतर अध्यापक छव क्पजमदजपवद च्वसपबल तथा सतत् एवम् व्यापक मूल्यांकन से परेशान हैं। तथा औसत से अधिक अध्यापकों को इस कानून की जानकारी ही नहीं है। शोधार्थी द्वारा निष्कर्ष में पाया गया कि यही मुख्य कारण है कि कानून के सम्बन्ध में जागरूकता का अभाव है।

संदर्भ–ग्रंथ सूची

1. आचार्य (2007), "प्राबलम्स ऑफ एनरोलमेंट, रिटेंनशन, ऐण्ड ऐचिवमेंटस अमंग दी स्टूडेंट्स ऑफ प्रीमिटीव ट्राईब्स ऑफ ऑडिसा, पॉस्ट ग्रेजुऐट डिर्पाटमेंट ऑफ अंथ्रोपोलोजी", उत्कल यूनिवर्सिटी, वानी विहार, भुवनेश्वर, ऑडिसा।
2. गडिपती इशिता (2015), "दि इश्यूस रिलेटिंग टू आर.टी.ई. ईम्पलिमन्टेशन ऐण्ड चलेंजिस : ऐ क्वालिटेटिव सटैडी", क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, बैंलुरू।
3. नेहासिंह (2011), "राईट टू ऐजुकेशन ऐक्ट ऐण्ड ईट्स ईम्पलिमन्टेशन इन 4 स्कूल्स ऑफ डेल्ही", दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, (370.3)।
4. चौधरी रजनी (2013), "ऐग्जामिनेशन ऑफ राईट टू ऐजुकेशन ऐसऐ ह्यूमन राईट", दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, (323.4)।
5. वर्मा रीनू (2012), "प्रैसेप्शन ऑफ प्रि सिपल्स राईट टू ऐजुकेशन ऐक्ट", दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, (370.3)।
6. सोनिया (2009), "शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009: मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में समिक्षा", दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
7. सोनिया (2011) : ''शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा'', अप्रकाशित शोध, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
8. सिंह अजय (2005) : ''बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार, संविधान के 86वें संशोधन के संदर्भ में शिक्षा संबंधित प्रावधनों का विधि शास्त्रीय विश्लेषण परिप्रेक्ष्य शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक आर्थिक संदर्भ'', वर्ष–12, अंक–2, अगस्त 2005.